(16)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2020/88

1. खलील आत्मज गफुर जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. नन्हे खॉं आत्मज गफूर जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिल बून्दी राज0
3. गुल मोहम्मद आत्मज गफूर जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
4. जेबुनिसा पुत्री गफुर जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
5. समीम बानो पुत्री गफुर जाति मुसलमान निवासी बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
6. शकुर आत्मज हुसेन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
7. बशीर मोहम्मद आत्मज गफूर जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

–अपीलांटगण

बनाम

1. कुलदीप कटारिया आत्मज रामकुमार जाति जाट निवासी मकान न0–430 गुढगांव हरियाणा हाल निवासी ग्राम बडोदिया–बोरखण्डी रोड बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)
2. सत्यवती पत्नि कुलदीप कटारिया जाति जाट निवासी मकान नं.–430 गुढगांव हरियाणा हाल निवासी ग्राम बडोदया–बोरखण्डी रोड बडोदिय तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान।
4. उप पंजीयक हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री लीलाधर सिंह , अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 04.07.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 104/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

(17)

अपील संख्या 2020/88
खलील बनाम कुलदीप वगै0

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 3381, 3382, 3383, 3384, 3386, 3387, 3388, एवं 3389 कुल खसरा 6 कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जो वर्तमान जमाबंदी प्रार्थी कुलदीप कटारिया के खाते में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या –3375, 3376, 3377, 3378 एंव 3380 कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 34 बीधा 18 बिस्वा ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जो प्रार्थी सत्यवती के खाते मे दर्ज है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण ने पूर्व खातेदार राजेन्द्र कुमार आ० श्री मदन मोहन एंव श्रीमति पुष्पा पत्नि राजेन्द्र कुमार महाजन निवासीगण बून्दी से पजिकृत विकय पत्र द्वारा कय करके कब्जा प्राप्त किया है ओर में के पर काबिज काश्त चले आ रहे है।. प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि के सहारे दक्षिणी तरफ पूर्व पश्चित लंबाई में भूमि खसरा संख्या 3379 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। जो एक लंबी पट्टी के रूप में है। प्रार्थीगण की भूमि के उत्तरी तरफ नहर खसरा संख्या 3395 स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 मे वर्णित कृषि भूमि के उत्तरी तरफ भूमि खसरा संख्या 3379 के पश्चात् ग्राम बडोदिया का माल समाप्त हो जाता है ओर ग्राम बोरखण्डी का माल प्रारम्भ हो जाता है। भूमि खसरा संख्या 3379 प्रार्थीगण के पूर्व खातेदारान के कब्जे में थी ओर इसके दक्षिणी तरफ की सीमा पर मिट्टी को डोल 50 वर्ष से भी अधिक पुराना बना हुआ है। अन्य उपरोक्त भूमि के साथ साथ भूमि खसरा संख्या 3379 भी पूर्व खातेदारान के कब्जे में थी। जिन्होने अन्य भूमि के साथ इस भूमि पर भी प्रार्थीगण को कब्जा सम्भलाया है। यह भूमि प्रार्थीगण की खाते की अन्य भूमि के साथ मिली हुई है। भूमि खसरा संख्या 3379 पर पूर्व–पश्चिम लंबाई में लगभग 40 फिट चोडा रास्ता प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खाते की कृषि भूमियो में आने जाने के लिए सदैव से बना हुआ है। इस रास्ते पर दरवाजे पर फाटक लगी हुई है। जिस पर प्रार्थीगण ताला लगाते है। प्रार्थीगण की खाते की भूमि में आने–जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर फसल खाद्य–बीज, टेक्टर–ट्रोली एंव कृषि उपकरण भूमि खसरा संख्या 3379 पर बने हुये रास्ते से ही लाते ले जाते है। यह रास्ता केवल मात्र प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि में आने जाने के लिये है। प्रार्थीगण की खाते की भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। भूमि खसरा संख्या 3379 अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के खाते में जमाबंदी में दर्ज है। ग्राम बडोदिया में अप्रार्थीगण के खाते में अन्य भूमि मोके पर नहीं है। भूमि खसरा संख्या 3379 पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 का कभी भी कब्जा नही रहा है ओर न ही वर्तमान में कब्जा है। अप्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या– 3379 पर बने हुऐ रास्ते को बंद करना चाहते है एंव इस भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण नियमानुसार इस भूमि का मूल्य अप्रार्थीगण को न्यायालय के माध्यम से अदा करके रास्ते के लिए उक्त भूमि प्राप्त करना चाहते है। क्योकि प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा

उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का रास्ता बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपने खाते की भूमि पर खेती नहीं कर सकेंगे ओर उनका कृषि कार्य नष्ट हो जायेगा। यद्यपि अप्रार्थीगण का उक्त भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नही है तथा रास्ते के अतिरिक्त बची हुई खसरा संख्या 3379 की भूमि पर अप्रार्थीगण के कब्जे के काफी पुराने वृक्ष लगे हुए है जो पूर्व खातेदारान ने लगाये थे।इस प्रार्थना पत्र का वाद कारण अप्रार्थीगण द्वारा दिंनाक 25/06/18 को भूमि खसरा संख्या–3379 पर जबरन कब्जा करने ओर प्रार्थीगण का रास्ता बंद करने की धमकी देने पर न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। अप्रार्थीगण दौराने कार्यवाही प्रार्थीगण का रास्ता बंद करने एंव भूमि खसरा सख्या 3379 अन्य व्यक्तियो को रहन बैचान व भारग्रस्त करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के खाते की प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के खाते में दर्ज भूमि खसरा संख्या 3379 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी नियमानुसार डी०एल०सी० दर की दोगुनी राशि प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को दिलवाई जाकर रास्ते के लिए भूमि का स्थांतरण प्रार्थीगण के पक्ष में करवाये जाने का निर्णयप्रदान किया जावे तथा उक्त भूमि को प्रार्थीगण के रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि भूमि खसरा संख्या 3379 ग्राम बडोदिया पर जबरन कब्जा नही करें तथा प्रार्थीगण के रास्ते में बाधा उत्पन्न नही करें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीगण को प्रदान किया जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2020 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता वाके ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली की खसरा नम्बर 3379 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलांट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ

न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क का प्रावधान वहा पर लागू होता है जहां पर किसी खातेदारी की कृषि भूमि या जोत का कोई अन्य रास्ता मौजूद नहीं हो जबकि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि के उत्तरी साईड में स्थित गुढा बांध की नहर के सहारे स्थित सडक पर होकर एक बडा रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की उक्त भूमि पर आने जाने हेतु बना हुआ है उक्त नहर की सडक के पास ही मुख्य सडक के सहारे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त रास्ते के सहारे दोनो ओर पक्के पिलर व गुमटिया बनाकर फाटक लगा रखी है उक्त रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर आते जाते चले आ रहे है तथा अपनी कृषि भूमि के उपकरण टेक्टर ट्रोली इसी रास्ते से लाते ले जाते चले आ रहे है। इस बाबत अंकन अपीलान्ट ने अधिनस्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अपने जवाब में पूर्ण रूप से किया था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर न तो ध्यान दिया न ही इस बाबत अपने निर्णय में कोई वर्णन किया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि में आने जाने के उक्त रास्ते के फोटो अपीलान्ट इस अपील के साथ प्रस्तुत कर रहे है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.07.2020 कानून विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह वर्णन किया कि उनकी खातेदारी की भूमियों में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है जो गलत अंकन किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के आने जाने का नहर वाली सडक से सुलभ व नजदीक का रास्ता मौजूद है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 भूमि खरीद के समय से आते जाते चले आ रहे है। लेकिन इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने छुपाया जिसको अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में प्रकट किया लेकिन फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रास्ता का मौका नहीं दिखाया न ही रास्ता की मौका रिपोर्ट मंगवाई जबकि मनमाने रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि में आने जाने का सुलभ व श्रेष्ठ व नजदीकी रास्ता गुढा बांध की नहर के सहारे सडक पर मौजूद होते हुये भी इस तथ्य को नजर अंदाज करके अपीलान्ट की भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से उनकी भूमि में दूसरा रास्ता देने का जो निर्णय दिनांक 08.07.2020 धारा 251–क के प्रावधानो के विपरीत जाकर पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के अपीलान्ट की भूमि पर अपना कब्जा बताते हुये रास्ते की मांग की है जबकि इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 88/12 कुलदीप बनाम खलील का अपीलान्ट की भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा के बाबत दायर किया था जिसको अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के द्वारा निर्णय व डिकी दिनांक 10.07.2015 के आधार पर खारिज कर दिया उक्त निर्णय व डिकी आज तक प्रभावी व अखण्डनीय है। इस तथ्य को भी अपीलान्ट ने अपने जवाब में उठाया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब पर कोई गौर नही किया एवं मनमाने रूप से अपीलान्ट की भूमि का स्वरूप बिगाडने वाला निर्णय दिनांक 08.07.2020 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था जिसका आदेश होना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व उसके अभिभाषक की बहस सुने बिना एवं पत्रावली बहस हेतु नियत हुये बिना ही मनमाने रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनकर निर्णय दिनांक 08.07.2020 पारित कर दिया जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की साक्ष्य दर्ज की न ही उनके गवाहान की साक्ष्य दर्ज की नही अपीलान्ट की साक्ष्य दर्ज की बल्कि बिना साक्ष्य के एवं बिना दोनो पक्षो की उपस्थिति में बनाई गई मौका रिपोर्ट के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2020 पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। सम्पर्क अधिनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मौकर रिपोर्ट जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने हल्का पटवारी से मिलीभगत करके अपीलांट की अनुपस्थिति में बनवाई थी उस पर विश्वास करके पूरा निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त प्रावधान में मौका रिपोर्ट दोनो पक्षो की मौजूदगी में आना चाहिए था एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार हिण्डोली से उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि के अन्य वैकल्पिक रास्तो व उक्त रास्ते के बाबत मौका रिपोर्ट तलब करनी चाहिए थी। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसा नही किया गया एवं हल्का पटवारी की एक पक्षीय मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के द्वारा पूर्ण रूप से आपत्ति दर्ज करवाने के बाद भी एवं अपने जवाब में उक्त आपत्ति का पूर्ण रूप से अंकन करने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त हल्का पटवारी की विवादित मौका रिपोर्ट पर विश्वास करके निर्णय दिनांक 08.07.2020 पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कही भी अंकन नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि में अन्य रास्ता मौजूद है या नहीं या उनको अन्य रास्ते की आवश्यकता है या नहीं बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि में मूल रास्ता मौजूद होते हुये भी रास्ता घोषित करने का अधिनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से प्रभावित होकर पारित किया है इस बाबत किसी प्रकार का अंकन अपने निर्णय में नही किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को उक्त रास्ते की क्यो आवश्यकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय, निर्णय पंजिका के

प्रावधानो के अनुसार नुसार पारित नही किया गया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में यह कार्यवाही इसलिए पेश की है। क्योंकि वे अपीलान्ट के उपर उक्त कार्यवाही का दबाव बनाकर उक्त भूमि को कम कीमत में खरीदना चाहते है इस हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलान्ट के उपर काफी समय से दबाव बना रहे हैं। इसी प्रकार अपीलान्ट की भूमि 2 बीघा 12 बिस्वा है जिसमें से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर रास्ता निकालने के बाद अपीलान्ट के खाते में शेष 1 बीघा भूमि बचती है जिसमें 7 खातेदार है। इस कारण भी उक्त अपीलान्ट की भूमि में रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है इन सभी तथ्यों का वर्णन अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में अंकन किया था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब पर गौर नही किया एवं निर्णय दिनांक 08.07.2020 कयास के आधार पर पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त एक पक्षीय निर्णय जो अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है एवं उक्त निर्णय की पत्रावली में अपीलान्ट को बहस करने का अवसर नहीं दिया गया उक्त निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांट की भूमि पर रास्ता बना देगें तो अपीलान्ट के अधिकारों का हनन हो जायेगा। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में मोका रिपोर्ट तलब की गई। प्रश्नगत रास्ते का मोका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण की भूमि खसरा संख्या 3379 में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने जाने हेतु विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2001(1) आर.एल.डब्ल्यु.(एस.सी.)

पेज 95, 2024(2) आर.आर.टी. पेज 428, 2024(2) आर.आर.टी. पेज 1375, 2024(2) आर.आर.टी. पेज 933 तथा पेज 914, 2023(1) आर.आर.टी. पेज 103, आर.आर.टी. 2023(2) पेज 1193, 2022(1) आर.आर.टी. पेज 177, 2022–23 सप्लीमेंट्री आर.आर.टी. पेज 123 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 3381, 3382, 3383, 3384, 3386, 3387, 3388, 3389 तथा खसरा नम्बर 3375, 3376, 3377, 3378 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा अपीलांट की खातेदारी की खसरा नम्बर 3379 की भूमि में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2020 में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट के खाते की प्रश्नगत खसरा नम्बर 3379 में से रास्ता कायम किए जाने का आदेश पारित किया है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि वे अपने खाते की भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 3379 में विद्यमान रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इसके विपरीत अपीलांटगण का कथन है कि खसरा नम्बर 3379 उनके खाते व कब्जे काश्त की भूमि है तथा खसरा नम्बर 3379 की भूमि पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अपील के विचाराधीन रहते हुए न्यायालय हाजा द्वारा विवादित रास्ते की भूमि की मोका रिपोर्ट तलब की गई है जिसकी पालना में तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा अपने पत्र कमांक 2020 दिनांक 28.03.2020 द्वारा न्यायालय हाजा में प्रेषित की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2020 को तैयार की गई है जिस पर पटवारी हल्का बडौदिया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक सथूर के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2020 पर अपीलांटगण के भी हस्ताक्षर अंकित है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2020 में खसरा नम्बर 3361 की भूमि में स्थित रिकॉर्डेड रास्ता चालू होने का अंकन है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 21.11.2020 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में प्रश्नगत खसरा नम्बर 3361 का रिकॉर्डेड रास्ता बडौदिया गावं की ओर जाना दर्शाया गया है जो अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3379 की पश्चिमी मेड़ एवं रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि के निकट आकर समाप्त होता है। उक्त नजरी नक्शे के अवलोकन से प्रश्नगत खसरा नम्बर 3379 में कायम किया गया रास्ता बडौदिया गांव की आबादी की ओर से आने वाले रास्ते से निकटतम होना प्रकट होता है। उक्त मोका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 3375, 3377, 3378 व 3380 के पश्चिम दिशा की भूमि अर्थात खसरा नम्बर 3379 की भूमि मोके पर पड़त होने का अंकन है। अतः प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण कि

साथ–साथ अपीलांटगण द्वारा ग्राम भी बडौदिया से आने वाले रिकॉर्डेड रास्ते के खसरा नम्बर 3361 से होकर अपनी खातेदारी की भूमि में आवागमन करना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा दिनांक 06.07.2020 को प्रार्थना–पत्र बाबत रास्ते की लम्बाई चौड़ाई निश्चित करने एवं अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्र में भी अप्रार्थीगण अपीलांटगण ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को 20 फीट चौड़ा रास्ता देने हेतु सहमति व्यक्त की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.08.2019 में भी अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 3379 की भूमि में रास्ता दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया गया है तथा उक्त आदेशिका पर अपीलांटगण के अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत रास्ता दिए जाने में अप्रार्थीगण अपीलांटगण की स्वीकारोक्ति रही है। अपीलांटगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलांटगण की सहमति के बिना ही अनापत्ति प्रकट की है अतः अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दी गई सहमति को कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दी गई सहमति के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही न्यायालय हाजा में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। अप्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रास्ते के रूप में उपयोग में आई भूमि की एवज में मुआवजा सिंचित भूमि के अनुसार प्रदान किए जाने का अनुतोष भी चाहा गया है। अपीलांटगण का कथन है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि नहर के सटवा बनी हुई आम सड़क के किनारे स्थित है तथा इसी सड़क से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण अपने खाते की भूमि में आते जाते है। अपीलांटगण ने अपने कथनों के समर्थन में नहर की ओर से आने वाले तथाकथित रास्ते के कुछ फोटोग्राफ प्रस्तुत किए है । अपीलांटगण द्वारा कथित नहर की ओर से आने वाले रास्ते के समर्थन में कोई विधिक प्रमाण एवं राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है अतः तथाकथित नहर की ओर से आने वाले रास्ते की वैधता का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ एवं मौखिक कथनों के आधार पर नहर की ओर से आने वाले तथाकथित रास्ते को वैकल्पिक रास्ता होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 में वैकल्पिक रास्ता मोके पर विद्यमान होने का कोई अंकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 में खसरा नम्बर 3361 के रिकॉर्डेड रास्ते के लगवां स्थित खसरा नम्बर 3379 की भूमि में कायम किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त मोका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर अंकित है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो

भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित करेगा। चूंकि विवादित रास्ते की रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना करते हुए विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार की गई है। हमारे मत में प्रश्नगत रिपोर्ट सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई है तथा उक्त विधिवत रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 3361 के रिकॉर्डेड रास्ते के लगवां स्थित खसरा नम्बर 3379 में से कायम किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय दिनांक 08.07.2020 में अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए है तथा उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया गया है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 104/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

4/7/25

(मुरलीधर व्यास)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा